

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक—


विषय— सीवान जिलान्तर्गत अंचल—दरौली, मौजा—दरौली, थाना नं. 157, खाता नं. 25, 392, खेसरा नं. 750, 754 में मांझी—दरौली—गुठनी पथ के किनारे IOCL का निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन है कि IOCL द्वारा सीवान जिलान्तर्गत अंचल—दरौली, मौजा—दरौली, थाना नं. 157, खाता नं. 25, 392, खेसरा नं. 750, 754 में मांझी—दरौली—गुठनी पथ के किनारे IOCL का निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट खोलने के लिए डीलरशीप प्रदान की गयी है, जिसके लिए वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण—पत्र की आवश्यकता है। अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु सभी संबंधित कागजात संलग्न कर रहा हूँ।

अतः अनुरोध है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत कराने की कृपा की जाय।

अनु०— प्रस्तावित रिटेल आउटलेट से संबंधित सभी कागजात, नक्शा सहित आठ प्रतियों में संलग्न।

विश्वासभाजन,

(अमित कुमार सिंह)